हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा फर्द दस्तावेज पेश, शामिल पत्रावली। पत्रावली वास्ते बहस दि. 05/01/26 को पेश हो। [signature] 26/11/25	
पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दि. 23/02/26 को पेश हो। [signature] 05/1/26	
02/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश u/s 212 R.T. Act दि. 14/03/26 को पेश हो। [signature] 23/02/26	
14/03/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय[illegible] के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली [illegible] लोकन किया गया। धारा-[illegible] Act [illegible] को [illegible] adjudicate करने [illegible] पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया ग्राम मोडी पवार हल्का ममानेया तहसील रायपुर को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	जमाबंदी लैण्ड रेकार्ड से साफ है कि भारग्रस्त भूमि खसरा नं 690 रकबा 0.4506 की प्रार्थी खातेदार कृषक है जिसे अप्रार्थीगण ने भी स्वीकार किया है और अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि कोई हक व स्वामित्व नहीं बताया है अतः प्रथम प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है।	
	(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रार्थी का कथन है कि खसरा नं 690 की पश्चिमी मेड़ के सहारे करीब 10 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया जिससे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन हुआ है जिसके protection के लिए प्रार्थी को राहत देना आवश्यक है। प्रार्थी SC श्रेणी का गरीब व्यक्ति है जबकि अप्रार्थीगण सम्पन्न समाज के बलशाली लोग हैं। जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि उन्होंने प्रार्थी की भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं किया है। प्रार्थी की भूमि को राजस्व विभाग ने कई बार सीमाज्ञान कर दिया है, प्रत्येक बार कोई अतिक्रमण नहीं पाया है। प्रार्थी आदतन शिकायती है और SC श्रेणी का होने का दुरुपयोग कर विभिन्न अधिकारियों को शिकायतें कर अप्रार्थीगण को परेशान करता रहता है। ADJ court ने भी अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा लगाये झूठे मुकदमे में बरी किया है।	
	प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने या उसका ऐसा साबित होता हो जबकि अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व [illegible] दिनांक 22/11/2012 ग्राम पंचायत [illegible] /11/2012, राजस्व [illegible] 03/9/2013 व 05/10/20[illegible] 05/03/2015 [illegible] विशेष कोर्ट (ST/SC) झालावाड़ के आपराधिक प्रकरण नं 40/13 में दिये निर्णय दिनांक 20/1/2015 बाई दे	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी ने स्वयं अप्रार्थीगण की खाता भूमि के थोड़े से भाग पर कब्जा कर रखा है। अतः स्थगन जारी करने से अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी। प्रार्थी के Khatedari rights का कोई हनन/अतिक्रमण किया जाना जाहिर नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। (स) अपूरणीय क्षति→ जब प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण का कोई भी, किसी भी प्रकार का कब्जा होना साबित नहीं है तो फिर अपूरणीय क्षति कारित होना भी साबित नहीं है। 2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.O. 39 R1&2 CPC खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। (हस्ताक्षर) 17/03/26	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner